न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोडा। उपस्थित–शुभांगी गुप्ता (उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा) फौजदारी वाद सं0–1171/2019 CNR No. UKAL020012032019	
परिवादी	जीवन पाण्डे
परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री मनोज कुमार पंत।
अभियुक्त	पंकज सिंह अधिकारी, पुत्र स्व0 नारायण अधिकारी, निवासी ग्राम मल्ली रियूनी, पो0 मजखाली, अल्मोडा।
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	श्री गजेन्द्र मेहता
अभियोग पंजीकृत करने की तिथि	13.11.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	–
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	–
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	–
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	21.10.2021
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	14.03.2023
निर्णय की तिथि	20.03.2023

अभियुक्त का विवरणः–

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण का दिनांक	जमानत पर रिहा होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	सजा का विवरण	जेल में बितायी गयी अवधि
01	पंकज सिंह अधिकारी, पुत्र स्व0 नारायण अधिकारी, निवासी ग्राम मल्ली रियूनी, पो0 मजखाली, अल्मोडा।	03.01.2020	03.01.2020	धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम	दोषमुक्त		शून्य

निर्णय

दिनांक–20.03.2023

उपरोक्त फौजदारी वाद परिवादी जीवन पाण्डे की ओर से

अभियुक्त पंकज सिंह अधिकारी के विरूद्ध, धारा–138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, एतद्पश्चात् ''एन0आई0एक्ट0', के अभियोग में परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर अग्रसारित हुई।

2. संक्षेप में परिवादी के कथन है कि परिवादी अल्मोडा शहर का निवासी है तथा प्राईवेट वाहन टैक्सी के संचालन का व्यवसाय करता है। परिवादी तथा अभियुक्त एक ही व्यवसाय करते है, जिससे उनके मध्य पहचान है। परिवादी बोलेरो वाहन सं0 यू0के0 01 टी0ए0 1661 का पंजीकृत वाहन स्वामी था। उक्त वाहन को अभियुक्त ने खरीदने की मंशा जाहिर की, जिस पर उक्त वाहन का अभियुक्त व परिवादी के मध्य रू0 3,10,424/– में सौदा तय हुआ। चूंकि उक्त वाहन श्रीराम फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस था, इसलिये अभियुक्त द्वारा कहा गया कि वाहन की शेष किश्तों का रूपया 2,70,424/– अभियुक्त अदा करेगा और वाहन के सम्पूर्ण लोन किश्तों का फाइनेंस कंपनी में रूपया अदा करने के बाद वाहन के समस्त प्रपत्रों के संबंध में परिवादी अभियुक्त के नाम वाहन हस्तान्तरित करने हेतु एन0ओ0सी0 देगा। उक्त वाहन लेने के उपरान्त अभियुक्त ने एक भी किस्त जमा नहीं की और न ही वाहन का टैक्स जमा किया, जिस कारण मजबूरी में परिवादी को किस्तों व टैक्स इत्यादि के पैसे जमा करने पडे। उपरोक्त धनराशि की अदायगी के एवज में अभियुक्त के द्वारा परिवादी को चैक निर्गत किए गए, जो बैंक द्वारा अनादरित हो गए। जिस कारण परिवादी ने न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोडा में अभियुक्त के विरूद्ध एक फौजदारी वाद सं0 37/2019 दर्ज किया गया, जिसमें परिवादी व अभियुक्त के मध्य इस शर्त पर राजीनामा हुआ कि अभियुक्त नियमित किस्त देगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा किस्तों की अदायगी नहीं की गयी। किश्तों की अदायगी हेतु अभियुक्त द्वारा परिवादी को अल्मोडा जिला सहकारी बैंक लि0 मालरोड, अल्मोडा के दो चैक क्रमशः सं0 022227 व 022228, क्रमशः दिनांकित 26.06.2019 व 12.08.2019, क्रमशः मुबलिक रू0 73472/– व 255000/– दिए। जिन्हें परिवादी द्वारा दिनांक 13.08.2019 को बैंक में जमा करने पर वे चैक दिनांक 14.08.2019 को ''अपर्याप्त धनराशि'' की टिप्पणी के साथ अनादरित हो गए। अभियुक्त के आश्वासन पर पुनः दिनांक 16.09.2019 को समाशोधन

के लिए चैक लगाने पर ये चैक दिनांक 16.09.2019 को ''अपर्याप्त धनराशि'' की टिप्पणी के साथ अनादरित हो गए। जिस पर परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिनांक 01.10.2019 को विधिक नोटिस भेजा गया जो अभियुक्त को दिनांक–04.10.2019 को प्राप्त हो चुका है। परिवादी के द्वारा भेजे गये विधिक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी न तो अभियुक्त द्वारा रूपया लौटाया गया और न ही कोई नोटिस का उत्तर दिया गया। इस्तगासा समय सीमा अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत है। अतः महोदय से प्रार्थना है कि अभियुक्त उक्त को न्यायालय में तलब कर परिवादी के रूपये हर्जे–खर्चे के साथ अभियुक्त से दिलाये जाये एवं अभियुक्त को एन0आई0एक्ट के प्राविधानों के तहत दण्डित करेन की कृपा की जाये। परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये–

क्रम सं0	दस्तावेजी साक्ष्य	कागज संख्या
1.	दिनांक 26–6–2029 चैक संख्या 022227	7क/1
2.	दिनांक 14–8–2019 रिटर्न मैमो	8क
3.	दिनांक 16–9–2019 रिटर्न मैमो	8क/2
4.	दिनांक 12–8–2019 चैक संख्या 022228	7क/2
5.	दिनांक 14–8–2019 रिटर्न मैमो	8क/3
6	दिनांक 16–9–2019 रिटर्न मैमो	8क/4
7.	दिनांक 1–10–2019 विधिक नोटिस मय रसीद	8क/5
8.	ट्रैक कन्साइंमैन्ट	8क/6
9.	दिनांक 24–4–2019 आदेश/निर्णय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा	8क/7 लगायत 8क/9
10.	विक्रय लिखत	39ख/2 लगायत 39ख/3

11.	फौ0वा0सं0 2379/21 मै0श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फाईनैन्स क0 बनाम जीवन पाण्डे परिवाद पत्र की सत्य प्रति	47क/2 लगायत 47क/3
12..	दिनांक 30–1–2021 चैक बाउन्स नोटिस	47क/4
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के आदेश की सत्य प्रति	47क/5
14	परिवाद पत्र की सत्य प्रति	64क/1 लगायत 64/3

3. परिवादी के परिवाद पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया एवं प्रथम दृष्टया मामला पाते हुये अभियुक्ता को धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु न्यायालय में तलब किया गया।

4. अभियुक्ता न्यायालय में उपस्थित आयी। उसे धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अभियोग का सारांश बताते हुये, बयान अन्तर्गत **धारा–251 द0प्र0सं0** लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने इस बात को स्वीकार किया है कि **उक्त वाद में राजीनामा हो गया था तथा अभियुक्त ने परिवादी को पूरी धनराशि अदा कर दी थी। इन चैकों के संबंध में परिवादी ने कहा कि वह उसने फाड दिए हैं, इसलिए मैं आपको चैक वापस नहीं कर सकता हूं। उक्त चैक की धनराशि पूर्व में दी जा चुकी थी। जिस वाहन के संबंध में बात की जा रही है, उसको भी परिवादी अपने पास ले गया है और कंपनी में जमा कर दिया।**

5. परिवादी ने परिवाद के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Indian Bank Association & others Vs. Union of India & others (2014) 5 SCC 590** के मामले में दिये गये निर्देशानुसार धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा–145 उक्त अधिनियम के अधीन अपना साक्ष्य शपथ–पत्र कागज संख्या– 4क/1 लगायत 4क/2 प्रस्तुत किया गया। अपने परिवाद के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दस्तावेज

प्रस्तुत किये, जिनका विस्तृत विवरण उपर सारणी में दिया गया है।

6. परिवादी की ओर से साक्ष्य समाप्त करने के उपरान्त, न्यायालय द्वारा **अभियुक्त का परीक्षण, धारा–313 द0प्र0सं0** के अधीन अभिलिखित की गयी, जिसमें अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि **ये चैक दिये थे। पैसा दे दिया था पर चैक वापस नहीं दिए थे। धोख से वाहन बेचा था, जो इंश्योरेंस कंपनी ने 4 माह में वापस ले लिया था, न मेरे पास वाहन है, न देनदारी है।**

7. अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. परिवादी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण की तर्कपूर्ण बहस सुनी गयी। बहस के दौरान परिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा दो चैक दिये गये थे। फाईनैन्स कम्पनी की बकाया किश्तें अभियुक्त द्वारा अदा किये जाने का कथन किया गया था। दोनों चैक बाउन्स हुए। अभियुक्त द्वारा हमारे भेजे गये नोटिस का भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। अभियुक्त द्वारा अपने धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयानों में भी इस बात को स्वीकार किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि जिस संविदा के तहत गाड़ी बेचे जाने की बात की गयी है वह संविदा विधि अनुसार शून्य है। परिवादी द्वारा खुद स्वीकार किया गया है कि केवल रूपये 73,472/–देना बकाया था। उसके बावजूद भी सारे पूराने चैक लगाकर गलत देनदारी दिखा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को दोष मुक्त किये जाने का पूर्ण आधार है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायदृष्टान्त R. Parimala Bai Vs Narasimhaiah (6 july 2018)by the hon'ble High court of Karnataka एवं Dashrathbhai Trikambhai Patel Vs. Hitesh Mahendrabhai Patel and anr. 2022 SCC Online SC 1376 प्रस्तुत किये गये।

<u>निष्कर्ष</u>

9. साक्ष्य और प्रपत्रों पर विचार करने से पूर्व एन0आई0एक्ट0 की धारा 138 के प्रावधान का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। एनआई एक्ट

अधिनियम की धारा 138 में प्रावधानित किया गया है –

"138. Dishonour of cheque for insufficiency, etc., of funds in the account. - Where any cheque drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability, is returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provisions of this Act, be punished with imprisonment for a term which may be extended to two years, or with fine which may extend to twice the amount of the cheque, or with both:

Provided that nothing contained in this section shall apply unless—

(a) the cheque has been presented to the bank within a period of six months from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier;

(b) the payee or the holder in due course of the cheque, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice in writing, to the drawer of the cheque, within thirty days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the cheque as unpaid; and

(c) the drawer of such cheque fails to make the payment of the said amount of money to the payee or, as the case may be, to the holder in due course of the cheque, within fifteen days of the receipt of the said notice.

Explanation.— For the purposes of this section, "debt or other liability" means a legally enforceable debt or other liability."

10. यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त द्वारा धारा 138 एनआई एक्ट के तहत अपराध किया है, परिवादी को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा और ऐसा करने के लिए, परिवादी को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त का कृत्य धारा–138 एन0आई0एक्ट0 के सभी आवश्यक तत्वों को पूरा करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Kusum Ingots & Alloys Ltd. v. Pennar Peterson Securities Ltd., (2000) 2 SCC 745** में यह अवधारित किया गया था कि किसी

अभियुक्त को धारा– 138एन0आई0एक्ट0 में दोषसिद्ध करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्य साबित करना आवश्यक है। :

1. *"a person must have drawn a cheque on an account maintained by him in a bank for payment of a certain amount of money to another person from out of that account for the discharge of any debt or other liability;*
2. *that cheque has been presented to the bank within a period of six months (now 3 months) from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier;*
3. *that cheque is returned by the bank unpaid, either because the amount of money standing to the credit of the account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with the bank;*
4. *the payee or the holder in due course of the cheque makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice in writing, to the drawer of the cheque, within 15 days (now 30 days) of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the cheque as unpaid;*
5. *the drawer of such cheque fails to make payment of the said amount of money to the payee or the holder in due course of the cheque within 15 days of the receipt of the said notice."*

10क. प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्त के विरुद्ध यह अभियोग है कि उसके द्वारा धारा–138 एन0आई0एक्ट0 के अंतर्गत अवधारित अपराध कारित किया है। अभियुक्त को धारा–138 एन0आई0एक्ट0 के अपराध में दोषसिद्ध करने के लिए पूर्व कथित शर्तो का पूर्ण होना आवश्यक है।

11. अतः उक्त प्रावधानों के आलोक में प्रस्तुत परिवाद में न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु यह अवधार्य प्रश्न है कि क्या परिवादी को अभियुक्त नै अपनी विधिक देनदारी की एवज में धनराशि मुबलिग 3,28,472/– रूपये (तीन लाख अट्ठाइस हजार चार सौ बहत्तर रूपये मात्र) के अपने हस्ताक्षरयुक्त चैक संख्या–022227 एवं चैक संख्या– 022228 भुगतान के लिए दिए, जो कि सम्बन्धित बैंक द्वारा ''अपर्याप्त धनराशि'' की टिप्पणी के साथ अनादृत हो गया तथा परिवादी द्वारा नियमानुसार नोटिस प्रेषित करने पर नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी अभियुक्त ने परिवादी को उक्त धनराशि का

भुगतान नहीं किया?

12. इस प्रश्न का उत्तर साक्ष्य पर निर्भर है।

13. प्रस्तुत परिवाद में परिवादी द्वारा उपरोक्त आवश्यक तत्वों को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य शपथ पत्र में अपने परिवाद–पत्र के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि परिवादी बोलेरो वाहन सं0 यू0के0 01 टी0ए0 1661 का पंजीकृत वाहन स्वामी था। उक्त वाहन को अभियुक्त ने खरीदने की मंशा जाहिर की, जिस पर उक्त वाहन का अभियुक्त व परिवादी के मध्य रू0 3,10,424/– में सौदा तय हुआ। चूंकि उक्त वाहन श्रीराम फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस था, इसलिये अभियुक्त द्वारा कहा गया कि वाहन की शेष किश्तों का रूपया 2,70,424/– अभियुक्त अदा करेगा और वाहन के सम्पूर्ण लोन किश्तों का फाइनेंस कंपनी में रूपया अदा करने के बाद वाहन के समस्त प्रपत्रों के संबंध में परिवादी अभियुक्त के नाम वाहन हस्तान्तरित करने हेतु एन0ओ0सी0 देगा। उक्त वाहन लेने के उपरान्त अभियुक्त ने एक भी किस्त जमा नहीं की और न ही वाहन का टैक्स जमा किया, जिस कारण मजबूरी में परिवादी को किस्तों व टैक्स इत्यादि के पैसे जमा करने पडे। उपरोक्त धनराशि की अदायगी के एवज में अभियुक्त के द्वारा परिवादी को चैक निर्गत किए गए, जो बैंक द्वारा अनादरित हो गए। जिस कारण परिवादी ने न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोडा में अभियुक्त के विरूद्ध एक फौजदारी वाद सं0 37/2019 दर्ज किया गया, जिसमें परिवादी व अभियुक्त के मध्य इस शर्त पर राजीनामा हुआ कि अभियुक्त नियमित किस्त देगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा किस्तों की अदायगी नहीं की गयी। किश्तों की अदायगी हेतु अभियुक्त द्वारा परिवादी को अल्मोडा जिला सहकारी बैंक लि0 मालरोड, अल्मोडा के दो चैक क्रमशः सं0 022227 व 022228, क्रमशः दिनांकित 26.06.2019 व 12.08.2019, क्रमशः मुबलिक रू0 73,472/– व 2,55,000/– दिए। जिन्हें परिवादी द्वारा दिनांक 13.08.2019 को बैंक में जमा करने पर वे चैक दिनांक 14.08.2019 को ''अपर्याप्त धनराशि'' की टिप्पणी के साथ अनादरित हो गए। अभियुक्त के आश्वासन पर पुनः दिनांक 16.09.2019 को समाशोधन के लिए चैक लगाने पर ये चैक दिनांक 16.09.2019 को ''अपर्याप्त धनराशि'' की टिप्पणी के साथ अनादरित हो गए। जिस पर

परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिनांक 01.10.2019 को विधिक नोटिस भेजा गया जो अभियुक्त को दिनांक–04.10.2019 को प्राप्त हो चुका है।

14. परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में परिवाद पत्र प्रदर्श क–1, शपथ पत्र अर्न्तगत धारा 200 जा0फौ0 प्रदर्श क–2, मूल चैक रू0 73,472/– प्रदर्श क–3, रिटर्न मैमो प्रदर्श क–4, रिटर्न मैमो प्रदर्श क–5, चैक रू0 2,55,000/– प्रदर्श क–6, रिटर्न मैमो प्रदर्श क–7, रिटर्न मैमो प्रदर्श क–8, नोटिस प्रदर्श क–9, ट्रैक कन्साइमैंट प्रदर्श क–10 एवं निर्णय की प्रति कागज संख्या 8क/7 लगायत 8क/9 को साबित किया गया है।

15. परिवादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि ''पत्रावली में कागज संख्या 30क/1 लगायत 30क/2 परिवाद पत्र प्रदर्श क–1, शपथ पत्र अर्न्तगत धारा 200 जा0फौ0 कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/2 प्रदर्श क–2, फेहरिस्त दर्ज कागाजात मूल चैक रू0 73,472/– प्रदर्श क–3, रिटर्न मैमो कागज संख्या 8क/1 प्रदर्श क–4, रिटर्न मैमो कागज संख्या 8क/2 प्रदर्श क–5, चैक रू0 2,55,000/– कागज संख्या 7क/2 प्रदर्श क–6, रिटर्न मैमो कागज संख्या 8क/3 प्रदर्श क–7, रिटर्न मैमो का0सं0 8क/4 प्रदर्श क–8, नोटिस का0सं0 8क/5 प्रदर्श क–9, ट्रैक कन्साइमैंट का0सं0 8क/6 प्रदर्श क–10 एवं निर्णय की प्रति कागज संख्या 8क/7 लगायत 8क/9 डाला गया।''

16. उक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवादी से विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षा की गई जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि परिवादी द्वारा अपनी जिरह के दौरान यह कथन किया कि'' **..... मेरे द्वारा वर्ष 2017 में उक्त वाहन को बन्धक रखने के उपरान्त रिफाइनैन्स कराया गया था।'' ..... '' मुझे यह जानकारी नहीं थी कि उक्त फाईनैन्स कम्पनी की शर्तों में फाईनैन्स कम्पनी की सम्पूर्ण किश्तों की अदायगी तक अपने वाहन को विक्रय नहीं करना था।'' .....'' यह कहना सही है कि मेरे द्वारा पूर्व में भी अभियुक्त के विरूद्ध एक एन0आई0एक्ट का मुकदमा इसी वाहन से सम्बन्धित लेन देन के मामले में इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया**

था। वह दावा मेरे द्वारा पत्रावली में दाखिल नहीं किया गया है।'' .....'' यह कहना सही है कि मेरे द्वारा उक्त वाहन के सम्बन्ध में 1,73,472/–रू0 का चैक के सम्बन्ध में अभियोग प्रस्तुत किया गया था। उक्त मामले में हमारा राजीनामा हो गया था, जो पत्रावली में कागज संख्या 8क/7 लगायत 8ग/9 है। इस राजनामें में मेरे भी हस्ताक्षर है। उक्त रूपये 1,73,472/–रू0 में से 1,00,000/–रूपये मेरे द्वारा प्राप्त किया गया था और शेष धनराषि 73,472/–रू0 को किश्तों में अदा करने की बात पर राजीनामा हुआ था। उस मामले में अभियुक्त द्वारा मुझे चैक दिये गये थे।''''..... यह कहना सही है कि अभियुक्त ने गाड़ी खरीदने की मन्शा जाहिर की थी, लेकिन मैंने बेची नहीं।'' .

17. इसके अतिरिक्त परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज, जो कि पत्रावली पर कागज संख्या 47क/2 लगायत 47क/3 है। इस बात की पुष्टि करते हैं कि परिवादी द्वारा पूर्व में भी अभियुक्त के विरूद्ध इसी मामले के सम्बन्ध में एक परिवाद दाखिल किया गया था। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र संख्या 64क/3 लगायत 64क/4 इस बात की पुष्टि करते हैं कि पूर्व में दाखिल किये गये परिवाद में परिवादी जीवन पाण्डे द्वारा राजीनामे के आधार पर अपना परिवाद वापस ले लिया गया था।

18. इस सम्बन्ध में इस स्तर पर निम्नलिखित विधि के सिद्धान्त एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायनिर्णय पर प्रकाश डालना उचित होगा– The explaination of Section 138 reads For the purposes of this section, **"debt or other liability**" means **a legally enforceable debt or other liability.**"

Dashrathbhai Trikambhai Patel Vs. Hitesh Mahendrabhai Patel and anr. 2022 SCC Online SC 1376 – *it was held that : In the view of above discussion , we summarise our findings below:*

(i) For the commission of an offence under section 138, the cheque that is dishonoured must represent a legally enforceable debt on the date of maturity or presentation;

(ii) If the drawer of the cheque pays a part or whole of the sum between the period when the cheque is drawn and when it is encashed upon maturity, then the legally enforceable debt on the date of maturity would not be the sum represented on the cheque."

19. पत्रावली के सम्यक परिशीलन से तथा उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वाहन खरीदने की मन्शा दिखायी गई थी, परन्तु परिवादी ने वाहन नहीं बेचा। पत्रावली पर परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य हुआ वाहन विक्रय लिखत कागज संख्या 39ख/2 लगायत 39ख/3 है। परिवादी के कथनों में विरोधाभास विदित होता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह से यह तथ्य भी प्रकाश में आये हैं कि परिवादी द्वारा फाईनैन्स कम्पनी की किश्तें बिना अदा किये अपने वाहन को अभियुक्त को बेचे जाने हेतु एग्रीमैन्ट किया गया था। विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार वाहन पर लिये गये ऋण को चुकाये बिना उसको विक्रय करना विधि की दृष्टि में अवैधानिक होता है। ऐसी परिस्थिति में तथाकथित देनदारी को विधिक ऋण (legally enforceable debt) नहीं माना जा सकता।

20. इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा पेश किये गये प्रपत्र संख्या–64क/3 लगायत 64क/4 से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा पूर्व में भी अभियुक्त के विरूद्ध एक दावा पेश किया था, जिसमें राजीनामे के आधार पर परिवाद वापस ले लिया गया था तथा रू0 1,00,000/– प्राप्त कर लिये गये थे। परिवादी से की गई जिरह से यह सिद्ध होता है कि पूर्व में किया गया दावा भी इसी मामले से सम्बन्धित था। इस स्तर पर यह स्पष्ट होता है कि हस्तगत मामले में बताये गयी देनदारी की धनराशि में से परिवादी रू0 1,00,000/– प्राप्त कर चुका है।

21. मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं उपरोक्त न्यायदृष्टान्तों तथा विधिक सिद्धान्तों के आलोक में न्यायालय पाती है कि परिवादी यह साबित करने में असमर्थ है कि अभियुक्त की विधिक देनदारी

रू0 3,28,472–/– है। अतः परिवादी अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग अर्न्तगत धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असमर्थ है। उपरोक्त कारणों से अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में दोषमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

22.(i) अभियुक्त पंकज सिंह अधिकारी को धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

(ii) दोषमुक्त के दौराने विचारण निष्पादित व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं जमानतनामें निरस्त कर जमानतियों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(iii) दोषमुक्त द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 437ए के अर्न्तगत निष्पादित व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं जमानतनामे अग्रिम छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांकः 20.03.2023

(शुभांगी गुप्ता)
सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 20.03.2023

(शुभांगी गुप्ता)
सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

परिवादी/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षियों की सूची

अ–परिवादी पक्ष

रैंक	साक्षियों के नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी/पुलिस/एक्सपर्ट/चिकित्सक/पंच/अन्य साक्षीगण
पी0डब्ल्यू0–1	जीवन पाण्डे	परिवादी

ब–बचाव पक्ष के साक्षीगण, यदि कोई हो

रैंक	साक्षियों के नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी/पुलिस/एक्सपर्ट/चिकित्सक/पंच/अन्य साक्षीगण
.....शून्य.....		

स–न्यायालय साक्षीगण, यदि कोई हो

रैंक	साक्षियों के नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी/पुलिस/एक्सपर्ट/चिकित्सक/पंच/अन्य साक्षीगण
.....शून्य.....		

परिवादी पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय के दस्तावेजों की सूची

अ–परिवादी

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श–क–1	परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0एक्ट
2	प्रदर्श–क–2	शपथ पत्र
3	प्रदर्श–क–3	मूल चैक संख्या–022227 दिनांकित 26.06.2019
4	प्रदर्श–क–4 व 5	रिर्टन बैंक मैमो
5	प्रदर्श–क–6	मूल चैक संख्या–022228 दिनांकित 12.08.2019
6	प्रदर्श–क–7 व 8	रिर्टन बैंक मैमो
7	प्रदर्श–क–9	नोटिस मय रजिस्ट्री रसीद
8	प्रदर्श–क–10	ट्रेक कंसाइन्मेंट
9	विक्रय लिखत	39ख/2 लगायत 39ख/3

10	फौ0वा0सं0 2379/21 मै0 श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फाईनैन्स बनाम जीवन पाण्डे परिवाद पत्र की सत्य प्रति	47क/2 लगायत 47/3
11	दिनांक 30–1–2021 चैक बाउन्स नोटिस	47क/4
12	मख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के आदेश की सत्य प्रति	क्गज संख्या 47क/5
13–	परिवाद पत्र की सत्य प्रति	64क/1 लगायत 64क/3

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची

ब–बचाव पक्ष

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
.....शून्य.....		

स–न्यायालय प्रपत्र

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
.....शून्य.....		

द–वस्तु प्रदर्श

क्रम संख्या	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
.....शून्य.....		

दिनांकः 20.03.2023

(शुभांगी गुप्ता)
सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।